

२०/१०
२२

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची
के द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र का मूल्या
का निस्तारण हो चुका है। अब इस
पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। प्राची का प्राथना पत्र



नवानबनाम

करण संख्या/ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश व पालना में जारी
--------	-----------------------------------	--

अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यायी विधवास्ता दिनांक 01/10/21 भी निरस्त की जाती है।
पत्रावली निधीति लेकर मूलवाद के साथ संलग्न है।

Signature

उपसह अधिकारी (राजस्व)
श्री कटणपुर

